राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–6)

☎ 0141-2227052 ✉ pdsap-rd-rj@email.gov.in Website: rdprd.gov.in

क्रमांक 14(27)ग्रा.वि./अनु.6/एमएलए/कोटा/2018–19/2236 जयपुर, दिनांक 22 JUL 2022

:–आदेशः–

विभागीय परिपत्र क्रमांक प.14(40)ग्रावि/ग्रुप–6/गाईडलाईन/2022/1414–1696 दिनांक 27.06.2022 के द्वारा अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति, कोटा को जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) के निर्माण के लिये विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत ''विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा निर्देश–2018'' के बिन्दु संख्या 2.23 एवं 3.9 में शिथिलन देते हुए योजना अवधि में राशि रू. 10.00 लाख की सीमा से अधिक के कार्य स्वीकृत करने पर सहमति शर्तों के अध्यधीन प्रदान की गयी है।

जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) के निर्माण हेतु अन्तर जिले के माननीय विधायकगणों द्वारा अभिशंषा संबंधित जिला परिषद को प्रेषित करते हुए प्रति जिला परिषद कोटा को प्रेषित करेगें एव तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित जिले के विधायक महोदय की अभिशंषा कोटा जिले को प्रेषित करेगें। उक्त कार्य के लिए कोटा नोडल जिला होगा।

कार्य के तकमीना अनुसार कार्य की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियां कोटा जिले द्वारा जारी कर संबंधित जिले को भिजवाई जावेगी। प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी होने पर संबंधित जिले द्वारा स्वीकृत राशि कोटा जिले को हस्तान्तरित की जावेगी। राशि प्राप्त होने पर कोटा जिले द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जिला परिषद, कोटा द्वारा कार्य उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित जिले को प्रेषित किया जायेगा। समस्त स्वीकृतियां ऑन–लाईन ही जारी की जावेगी।

माननीय विधायकगण विभाग के पोर्टल पर प्रदत्त सुविधा अनुसार स्वंय की अभिशंषा अपलोड कर सकेगें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(के.के. पाठक)
शासन सचिव,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
5. समस्त माननीय विधायकगण, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
9. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
10. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
11. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की एक प्रति अपने जिले से संबंधित माननीय विधायकगण को उपलब्ध करावें।
13. प्रोग्रामर ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट info-rdprd@nic.in पर अपलोड करने हेतु।

(बी.एल. वर्मा)
परियोजना निदेशक एवं पदेन